

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 2016/माघ 29, 1937

No. 441]

NEW DELHI THURSDAY, FEBRUARY 18, 2016/MAGHA 29, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(एमआरटीएस-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 17 फरवरी. 2016

का.आ. 519(अ).—केन्द्रीय सरकार मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 7 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सुरक्षा आयुक्त, दिक्षण रेल परिमंडल, बंगलौर को इस आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कोच्ची महानगर क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजनाओं के संबंध में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है ।

[फा. सं. के-14011/09/2014-एमआरटीएस-IV]

अंबुज बाजपेयी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(MRTS-II)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2016

S.O. 519(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby appoints the Commissioner of Railway Safety, Southern Railway Circle, Bangalore to act as the Commissioner of Metro Railway Safety in respect of the Metro Railway Projects in Kochi Metropolitan Area with effect from the date of publication of this notification in Official Gazette.

[F. No. K-14011/09/2014-MRTS-IV]

AMBUJ BAJPAI, Under Secy.

832 GI/2016